

अपील/रसद/24/2021 न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज०)

राजेश कुमार उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खटोटी तहसील नदबई जिला  
.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर (द्वितीय)

.....रेस्पो०

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर  
दिनांक 17-02-2017 प्रकरण संख्या 19/17

उपस्थित :-


- 1-श्री विमल सिंह अभिभाषक अपीलान्ट
- 2-श्री संजीव शर्मा, ई०ओ० पैरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 07-06-2024

अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 17-02-2017 से अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई थी। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 17-02-2017 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई। इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 28/2017, अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक की अनुपस्थित में आदेश दिनांक 06-08-2019 को अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई थी, अपीलान्ट ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06-08-2019 के खिलाफ एक अपील माननीय खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर के समक्ष पेश की।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर ने याचिका संख्या- 61/2019 उनवानी राजेश कुमार बनाम जिला रसद अधिकारी स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 24.11.2021 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06-08-2019 को अपास्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला कलक्टर भरतपुर को पुनः प्रेषित (Remand) किया कि रिविजनकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

.....2

(2)

अपील / रसद / 24 / 2021  
राजेश कुमार बनाम डीएसओ भरतपुर

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर के निर्णय दिनांक 24.11.2021 के परिप्रेक्ष्य में अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्षकारान की तलबी की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील में तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0 जयपुर बाबत रिमान्ड किया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि तहत न्यायालय ने विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है, प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य वगैरे का प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, तहत न्यायालय ने प्रार्थी की अनुपस्थित में आदेश पारित किया है, केवल प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, यह तथ्य तहत न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है। योग्य अभिभाषक अपीलान्त का कथन है कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के आदेश 24 के अनुसार 1 को कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट या कोई भी राजस्व अधिकारी, जो नायब तहसीलदार के रैंक से नीचे का न हो या खाद्य एवं नागरिक विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक के रैंक से नीचे का न हो, समस्त युक्ति युक्त समयों पर किसी भी राशन या खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का स्टॉक या खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों के व्यवहार से संबंधित लेखा पुस्तकों अथवा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे निरीक्षण के प्रयोजनार्थ....।” किन्तु न्यायालय द्वारा इस आदेश कि अवहेलना करते हुये निदेशक तकनीकी राजकोम इनफो सर्विस लि0 के मात्र पत्र के आधार पर विना किसी जांच के अपीलान्त के लाईसेन्स को निरस्त करने का जो अपीलाधीन आदेश दिया गया है वह नियमों के विपरीत रहने से खारिज योग्य है। अपीलान्त के खिलाफ पोस मशीन पर आधार आई.डी. व आधार आई.डी. संख्या 698264197687 से ट्रान्जेक्शन कर 9.08 क्वि. गेहू व 129 लीटर कैरोसीन का दुरुपयोग करने एवं कूटरचित वितरण दर्शाया जाकर दुरुपयोग किये जाने का आरोप लगाया है सरासर गलत व निराधार है, अपीलान्त द्वारा राशन सामग्री का वितरण राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्णतय पोस मशीन के जरिये से ही किया जा रहा है, पोस मशीन में अपीलांट के स्तर से किसी प्रकार से कोई हैराफेरी या छेडछाड नहीं की जा सकती है ना ही उक्त आधार आई.डी. संख्या अपीलांट की है नाही अपीलांट के पास उपलब्ध पोस मशीन से एक बार में किसी एक आधार कार्ड संख्या से इतने अधिक ट्रान्जेक्शन नहीं किये जा सकते हैं। अपीलान्त द्वारा सभी उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण निर्धारित माप दण्डों के अनुसार ही किया जाता रहा है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अपीलान्त पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में तहत न्यायालय ने अपने स्तर पर कोई

.....3

2  
खिला कलक्टर  
भरतपुर

(3)

अपील / रसद / 24 / 2021  
राजेश कुमार बनाम डीएसओ भरतपुर

जांच नहीं कराई गई एवं ना ही किसी उपभोक्ता के बयान वगे. लिये गये हैं। अपीलान्ट डीलर के खिलाफ किसी भी उपभोक्ता ने सामग्री नहीं मिलने बाबत कोई शिकायत नहीं की गई है। योग्य अभिभाषक ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनयमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकारी पत्र की शर्त संख्या 2,11, 15व 17 सी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि तहत न्यायालय ने अपने आदेश में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त शर्तों का किस प्रकार अपीलान्ट ने उलंघन किया है, तहत न्यायालय द्वारा केवल यह लिख देना कि उक्त शर्तों का उलंघन किया गया है पर्याप्त नहीं है बल्कि आरोपों को साक्ष्य सबूतों के आधार पर संदेह से परे जाकर साबित करना चाहिये, तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में ऐसा नहीं किया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने ऐसी ही नेचर के अन्य प्रकरणों हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन किया है कि उक्त प्रकरणों को डीएसओ को रिमान्ड किया गया है, यह प्रकरण भी समान नेचर के प्रकरणों होने से विचाराधीन अपील को भी स्वीकार किया जावे। पोस मशीन के अनुसार एक आधार कार्ड से एक ही राशनकार्ड को जोड़कर रसद सामग्री नहीं निकाली जा सकती है लेकिन कई वार पोस मशीन में तकनीकी खामी एवं उचित प्रशिक्षण के अभाव में ट्रांजेक्शन रिपीट होना संभव है लेकिन तहत न्यायालय द्वारा बिना किसी विस्तृत जांच/निष्कर्ष के एवं बिना किसी आधारों पर केवल मात्र ट्रांजेक्शन रिपोर्ट को ही आधार माना जाकर प्रार्थी पर रसद सामग्री के गबन का आरोप माना गया जब कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना किसी उचित निष्कर्ष एवं ठोस साक्ष्य के अभाव में कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं माना सकता बाबजूद इसके जांच अधिकारी द्वारा काल्पनिक तथ्यों के एवं संभावनाओं के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया है। योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना की है कि अन्य प्रकरणों की तरह अपीलार्थी का प्रकरण भी समान नेचर के हैं अतः अपीलार्थी का प्रकरण भी जिला रसद अधिकारी भरतपुर को रिमान्ड किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने पोस मशीन से एक ही आधार आर्डडी नम्बर 69826419687 का उपयोग कर आधार कार्ड धारक की बायोमैट्रिक पहचान अंकित कर गेंहू व कैरोसीन का कुटरचित वितरण पोस मशीन में दर्शाया जकार दुरुपयोग किया गया है। डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,11,15व 17सी का उलंघन किया गया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

2  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

.....4

(4)


अपील/रसद/24/2021  
राजेश कुमार बनाम डीएसओ भरतपुर

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 17-02-2017 का अवलोकन किया गया। तहत पत्रावली डीएसओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण अपीलान्त के खिलाफ दिनांक 25.01.2017 को डीएसओ ने दर्ज रजिस्टर किया है तीन तारीख पेशी दिये जाने के बाद दिनांक 17.2.2017 को अपीलान्त की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई के बिना परीक्षण बिना साक्ष्य सबूत लिये इकतरफा में पारित किया गया है। माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24.11.2021 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.08.2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित (रिमान्ड) किया है कि ".....रिवजनकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें.....।" मेरी विनम्र राय में माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 24.11.2021 के परिप्रेक्ष्य में ट्राईल कोर्ट को गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय लिये जाने हेतु को रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 17-02-2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण का पुनः परीक्षण करें, अपीलान्त को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार विधि सम्मत पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
( डॉ. अमित यादव )  
जिला कलक्टर,  
भरतपुर

